

हरियाणा विधान सभा

की

कार्यवाही

14 मार्च, 2000

खण्ड 1, अंक 6

अधिकृत विवरण

मंगलवार, 14 मार्च, 2000

विशय सूची

पृष्ठ संख्या

सदन के कार्यक्रम में परिवर्तन	(6)1
वर्ष 2000-2001 का बजट पे ा करना	(6)4
भाोक प्रस्ताव	(6)20

हरियाणा विधान सभा

मंगलवार, 14 मार्च, 2000

विधान सभा की बैठक, हरियाणा विधान सभा हाल, विधान भवन, सैक्टर-1, चण्डीगढ़ में प्रातः 9.30 बजे हुई। अध्यक्ष (श्री सतबीर सिंह कादियान) ने अध्यक्षता की।

सदन के कार्यक्रम में परिवर्तन

श्री भजन लाल: अध्यक्ष महोदय, आपका भी इस हाउस का सदस्य होने का काफी तुजुर्बा है। जब से दे 1 आजाद हुआ है तब से लेकर आज तक जिस दिन बजट पे 1 होता है उस पर उसी दिन डिस्क 1न नहीं हुई है। इस बारे में मेरा आपके माध्यम से अनुरोध है कि कायदे और रूलज के मुताबिक, आज बजट पे 1 होने के बाद इस पर जो दूसरी बैठक में चर्चा होनी है, वह नहीं होनी चाहिए। आप इस बजट पर कल से बहस शुरू करवा दें। 16 तारीख तक बजट पास हो सकता है। 16 तारीख तक बजट को पास करने के लिये हमारे पास समय भी है। इस बदलाव के लिये बिजनैस एडवाइजरी कमेटी की मीटिंग बुलाने की भी आव 1कता नहीं है क्योंकि सदन ही सर्वोपरि है। सदन सारे निर्णय स्वयं ले सकता है। आपके माध्यम से मेरा सुझाव है कि आप सरकार को कहें कि आज बजट पर डिस्क 1न न करवायें। आप हमारे हितों के कस्टोडियन हैं। आप हमारी बात को अच्छे ढंग से सरकार के सामने रख सकते हैं। हमें उम्मीद है कि सरकार आपकी बात को

मानेगी भी। आज सदन के अन्दर सरकार अपना बजट पे 1 करे। हम बड़े प्यार से इनके बजट को सुनेंगे। मैंने यह सुझाव इसलिये सदन के सामने व आपके सामने रखा है क्योंकि बजट के दस्तावेज काफी बड़े होते हैं, उनको आज ही पढ़ कर हम बोल नहीं पाएंगे। इस दस्तावेज को पढ़ने में समय लगता है। इसलिए कृपया करके आप सरकार को कहें कि वे आज बजट पे 1 कर लें लेकिन इस पर डिस्कान कल कर लें।

श्री बंसी लाल: अध्यक्ष महोदय, चौधरी भजन लाल जी ने जो सुझाव आपके सामने रखा है वह बिल्कुल ठीक है। आज आप बजट पर डिस्कान न कराये। आज सरकार दूसरी बैठक में कोई लैजिस्लेटीव बिजनैस का या और कोई दूसरा काम निकाल सकती है। उस बिजनैस पर आज विचार कर लें लेकिन बजट पर डिस्कान न कराये। सरकार को कल के कार्य देखते हुये कोई असुविधा हो रही हो तो आप कल की बैठक को नान-स्टाप चला लें और आज का काम भी और कल का काम भी कल निपटा लिया जाये।

श्री बिजान लाल सैनी: अध्यक्ष महोदय, चौधरी भजन लाल जी ने व चौधरी बंसी लाल जी ने जो सुझाव दिये हैं मैं भी उनसे सहमत हूँ कि सरकार अपना बजट आज पे 1 कर ले लेकिन इस पर डिस्कान आज की बजाये कल से करा ले तो अधिक अच्छा रहेगा।

वित्त मंत्री (श्री सम्पत सिंह): अध्यक्ष महोदय, विपक्ष के नेता चौधरी भजन लाल जी ने कहा है कि आज बजट पे 1 कर दिया जाये लेकिन इस पर डिस्कान आज की बजाये कल से करा ली जाये। इस बात की ताईद चौधरी बंसी लाल जी और श्री बि।न लाल सैनी जी ने भी की है। इन्होंने कहा कि यह ट्रेडी।न रही है कि जिस दिन बजट पे 1 होता है उसी दिन उस पर डिस्कान नहीं होती। इस संबंध में मेरा कहना यह है कि जब बिजनैस एडवाईजरी कमेटी की मीटिंग हुई थी उस वक्त भजन लाल जी भी मौजूद थे और दूसरे मैम्बर भी मौजूद थे। उस दिन इनके दिमाग से भायद यह बात निकल गई होगी। मेरा इस बारे में कहना यह है कि जब बिजनैस एडवाईजरी कमेटी की रिपोर्ट सदन में रखी गई तो उस वक्त किसी की तरफ से भी इस बारे में सुझाव आ जाता तो आज जो नौबत आई है भायद न आती।

श्री भजन लाल: मैंने तो बिजनैस एडवाईजरी कमेटी में भी कहा था कि जिस दिन बजट पे 1 हो उसी दिन उस पर बहस नहीं होनी चाहिए।

श्री सम्पत सिंह: अध्यक्ष महोदय, मेरा कहना यह है कि जब बी0ए0सी0 की रिपोर्ट सदन में रखी जाती है तो वह कमेटी की रिक्मन्डे।न होती है। उस रिक्मन्डे।न पर सदस्यों को अपने विचार रखने चाहिये। मैम्बरों की तरफ से अच्छे सुझाव आ सकते हैं और उन अच्छे सुझावों को सरकार मान सकती है।

श्री बंसी लाल: आप आज बाद दोपहर के लिए कोई और काम निकला लें।

श्री सम्पत सिंह: यदि हम लैजिस्लेटीव बिजनैस निकालते हैं तो भी मैम्बर एतराज करेंगे कि हमने इसकी तैयारी नहीं की।

श्री बंसी लाल: हम कोई एतराज नहीं करेंगे।

श्री सम्पत सिंह: चौधरी साहब कई मैम्बर कहेंगे कि हम इसको पढ़ नहीं पाए। उस पर भी एतराज आयेगा। मेरा कहना यह है कि हम से कोई चीज मिस हो सकती है तो सदन के सदस्यों को भी जिम्मेवारी बनती है कि वे बिजनैस एडवाइजरी कमेटी की रिपोर्ट पर अपने सुझाव दे सकते थे। बिजनैस एडवाइजरी कमेटी की रिपोर्ट फाईनल नहीं होती बल्कि हाउस स्वयं अपने आप में कोई निर्णय लेने का मालिक है। बी0ए0सी0 की मीटिंग को मैम्बर्ज को फार्मली खानापूति नहीं समझना चाहिए। उस रिपोर्ट पर मैम्बर साहेबान अपने सुजै उन दे सकते हैं। अच्छे सुझाव सरकार मान सकती है। इसलिए मेरा निवेदन है कि भविष्य में जब भी बिजनैस एडवाइजरी कमेटी की रिपोर्ट सदन में आये तो उस पर मैम्बर्ज को अपने विचार व्यक्त करने चाहिये, ताकि आज जैसी स्थिति ही पैदा न हो। अगर हाउस इसमें डिस्क उन करता और मैम्बर्ज इसमें कुछ सुजै उन देते तो हो सकता है कि उसी दिन इस बात को एक्सप्ट कर लिया जाता। भायद इस बात को आज मानने में सरकार को

कुछ तकलीफ भी हो लेकिन उस समय हमें इसमें कोई ऐतराज नहीं होता। अध्यक्ष महोदय, जो बात इन्होंने कही है उसको मानने में सरकार को कोई आपत्ति नहीं है लेकिन मैं एक निवेदन करना चाहता हूँ कि जैसे कल डिस्कान हुई है उसी तरह से नॉन-स्टॉपेज डिस्कान रख लेते हैं। यह डिस्कान 9.30 बजे से ले लेते हैं और लंच टाइम अलग से नहीं रखते जैसे कि कल किया गया था। मैम्बरज, ज्यों-ज्यों चाहें खाने के लिए जाएं या पार्टी के लीडर अपने एक-एक या दो-दो मैम्बरज को खाने के लिए भेजते रहें और बाकी सदस्य हाउस में अपना कण्ट्रीब्यूशन देते रहे, हाउस की डिबेट सुनते रहें या बोलते रहें। इस तरह से हाउस चलता रहे। चौधरी भजन लाल जी लम्बे समय तक स्वयं मुख्य मंत्री रहे हैं और चौधरी बंसी लाल जी भी मुख्य मंत्री रहे हैं। मैं यह कहना चाहूंगा कि अगर कल बजट पर बहस शुरू की जाए तो कल ही उसको कन्कलूड करते हैं और उसके बाद डिमाण्डज पर गवर्नर साहब के साइन्ज भी होते हैं और उसके बाद एप्रोप्रियेन बिल आना भी आवश्यक है इसलिए मैं चाहूंगा कि पूरा समय दिया जाएगा जो भी मैम्बर जितना बोलना चाहे बोल सकता है। गवर्नर एड्रेस पर मैम्बरज को बोलने का पूरा मौका दिया गया है और बजट पर बोलने का भी पूरा मौका देंगे। इसके लिए अगर टाइम एक्सटेंड करना पड़ेगा तो हम टाइम एक्सटेंड भी कर लेंगे। कल डिमाण्डज पर वोटिंग करके उसको कन्कलूड करना चाहेंगे तो हम टाइम एक्सटेंड भी कर लेंगे। कल डिमाण्डज पर वोटिंग करके उसको कन्कलूड करना चाहेंगे। अगर हाउस की

सहमति हो तो हमें कोई ऐतराज नहीं है और हम आज की सैकण्ड सिटिंग को टाल देते हैं और आज बजट पर डिस्कान की जाए, मैं इसके लिए अभी मोशन मूव कर देता हूँ। (विघ्न)

श्री इन्द्रजीत सिंह: अध्यक्ष महोदय, लीडर ऑफ दि ओपोजीशन के सुझाव को सरकार ने मान लिया उसके लिए इनका भुक्तिया अदा करता हूँ। जब बिजनैस एडवाइजरी कमेटी में कोई चर्चा होती है तो उस पर गौर किया जाना चाहिए था। हम इस बात को मानते हैं कि प्रथा चली आई है कि जिस दिन बजट पे प्रस्ताव किया जाता है उस दिन बजट पर चर्चा नहीं होती। बिजनैस एडवाइजरी कमेटी की यह जिम्मेदारी बनती थी कि वह इस पर विचार करती क्योंकि इसमें सरकार के ज्यादा सदस्य होते हैं हमारे तो एक या दो सदस्य ही होते हैं। चौधरी भजन लाल जी तो वैसे भी नर्म आदमी हैं और सरकार ने उनको मना लिया होगा। (विघ्न)

स्पीकर सर, इसके अलावा मैं एक और चीज कहना चाहता हूँ। कल गवर्नर एड्रैस पर बड़ी भ्रान्तिपूर्वक चर्चा चल रही थी और सदन के अन्दर बड़ा अच्छा वातावरण था। जब मुख्य मंत्री जी बोल रहे थे तो मुझे यह बात थोड़ी सी महसूस हुई कि जीत हासिल करने के बाद और मुख्य मंत्री जी की गद्दी हासिल करने के बाद हमारे विपक्ष के ऊपर उन्होंने कुछ टोन्ट भी कसे। मैं किसी व्यक्ति विशेष की बात पर नहीं जाऊंगा जितने भी लीडर चाहे वे हमारी पार्टी के चौधरी भजन लाल जी हैं अथवा चौधरी बंसी लाल जी हैं। (विघ्न)

श्री अध्यक्ष: राव साहब, कल की बात तो कल हो चुकी अब आप बैठ जाएं। (विघ्न)

श्री इन्द्रजीत सिंह: अध्यक्ष महोदय, आप मेरी बात सुन लीजिए। (विघ्न)

श्री अध्यक्ष: आपकी बात सुन ली गई है और आपकी भावनाएं भी सुन ली गई हैं, इसलिए अब आप अपनी सीट पर बैठें (विघ्न) राव साहब, यह भाषण देने का टाइम नहीं है (विघ्न) आपको सुनने के लिए टाइम दिया गया था और अब आपकी बात सुन ली गई है। जब आगे आपको बोलने का मौका मिलेगा तो उस वक्त आप अपनी बात कह सकते हैं। (विघ्न) सभी सदस्यों का मान-सम्मान रखा जा रहा है।

श्री सम्पत सिंह: अध्यक्ष महोदय, जैसे हाउस की राय है आप बाकायदा वैसे ही हाउस की कार्यवाही चला रहे हैं। कई रोज कल आए, कल उनका जिक्र हो गया था और वे कन्कलूड भी हो गए थे उन बातों को आज दोहराने की कोई आवश्यकता नहीं थी। और जैसे कहा गया कि गवर्नमेंट को गलत फैसला नहीं करना चाहिए था, गवर्नमेंट ने कोई गलत फैसला नहीं किया। बी०ए०सी० की मीटिंग आपकी अध्यक्षता में हुई थी गवर्नमेंट कोई ऐसा काम नहीं करती। बाकायदा सभी मैम्बर्ज को अपनी बात कहने का मौका था। अगर कोई प्वांचट ऐसा रह भी गया तो उसके लिए यह हाउस तो है ही। अब आपकी जो कमियां रही हैं वह आप

हमारे पर थोप रहे हैं। राव साहब, आप बहुत ही सीनियर पार्लियामैटेरीयन रहे हैं। लोक सभा में भी रहे हो, यहां पर भी रहे हो। आपके वक्त जो गलतियां हुई हैं, वह आप इस सरकार पर डालते हैं। उस वक्त आपको विरोध करना चाहिए था। आज जो आपने बात कही है, वह हमने मान ली है। अब आप कहते हैं कि गवर्नमेंट को गलती नहीं करनी चाहिए। मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि यह गवर्नमेंट का काम नहीं है। यह काम स्पीकर साहब का है, बी०ए०सी० काम काम है। उसमें बंसी लाल जी थे, भजन लाल जी थे उनके सामने यह बात उठाते। जहां तक आज का सवाल है तो इसके लिए मैं मोशन मूव कर देता हूं। इसमें मैं मूव करना चाहता हूं कि जो आज का दिन है इसकी फर्स्ट सीटिंग ही रखी जाए, दूसरी सीटिंग न रखी जाए। सैकिण्ड सीटिंग को कल के लिए पोस्टपोन कर दिया जाए और कल का बिजनेस भी वैसे ही रखा जाए।

Sir I beg to move-

That the House on Wednesday, the 15th March, 2000 shall meet at 9.30 A.M. and will adjourn at 6.30 P.M. without the question being put and there shall be no second sitting on today the 14th March, 2000.

Mr. Speaker: Motion moved-

That the House on Wednesday, the 15th March, 2000 shall meet at 9.30 A.M. and will adjourn at 6.30 P.M.

without the question being put and there shall be no second sitting on today the 14th March, 2000.

Mr. Speaker: Question is-

That the House on Wednesday, the 15th March, 2000 shall meet at 9.30 A.M. and will adjourn at 6.30 P.M. without the question being put and there shall be no second sitting on today the 14th March, 2000.

The motion was carried.

Mr. Speaker: Hon'ble Members, Calling Attention notice of Shri Karan Singh Dalal admitted for 14th March, 2000 will be taken up on 16th March, 2000.

वर्ष 2000-2001 का बजट पे ा करना

Mr. Speaker: Hon'ble Members, now the Finance Minister will present the Budget Estimates for the year 2000-2001.

वित्त मंत्री (श्री सम्पत सिंह): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं इस गरिमामय सदन में इस सहस्त्राब्दी के प्रथम वार्षिक बजट अनुमान पे ा करते हुये गौरव का अनुभव कर रहा हूँ।

माननीय सदस्यगण, आप को ज्ञात ही है कि गत वर्ष हमारे दे ा ने सीमा पार से गम्भीर चुनौतियों का सामना किया है। आरम्भ में, आर्थिक मंदी का दौर था। मौसम भी अनुकूल नहीं रहा। मॉनसून की वर्षा कम हुई। उड़ीसा में भयंकर चक्रवात आया। इन सबके बावजूद हमारा दे ा, भारतवासियों के दृढ़

संकल्प के कारण इन कठिन परिस्थितियों से सफलता पूर्वक उभरा है। हमारे देश के वीर सैनिकों ने कारगिल क्षेत्र में हमारी सीमाओं की रक्षा करते हुए अपने जीवन की आहुति दी। प्रतिकूल मौसम के बावजूद कृषि उत्पादन पर अधिक प्रभाव नहीं हुआ। स्टॉक मार्किट में निवेशकों का विश्वास लौट आया है जिससे आर्थिक सुधार के लक्षण दिखायी देने लगे हैं। लम्बी अवधि के बाद राष्ट्रीय स्तर पर मुद्रास्फीति की दर में कमी आई है और इसके कारण जनता राहत की सांस ले सकती है। जहां तक हमारे राज्य का सम्बन्ध है, हमारे सैनिकों ने मातृभूमि की रक्षा करते हुए अपने प्राणों की आहुति देकर समस्त हरियाणावासियों का मस्तक ऊंचा किया है।

माननीय सदस्यों में वितरित “हरियाणा का आर्थिक सर्वेक्षण, 1999-2000” से राज्य की पिछले वर्ष की समूची आर्थिक स्थिति का पता चलता है। मैं इसकी कुछ प्रमुख विशेषताओं को संक्षेप में सदन के सम्मुख रखना चाहूंगा। फौरी अनुमान के अनुसार स्थायी मूल्यों पर वर्ष 1993-94 को आधार मान कर हरियाणा का सकल राज्य घरेलू उत्पाद 1997-98 के 27,357 करोड़ रुपये से बढ़ कर 1998-99 में 29,001 करोड़ रुपये हो गया है, जो छः प्रतिशत की वृद्धि दर्शाता है। चालू मूल्यों पर सकल राज्य घरेलू उत्पाद 1998-99 में 43,671 करोड़ रुपये था, जो गत वर्ष की अपेक्षा 15.1 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाता है। इसी अवधि के दौरान स्थिर मूल्यों पर प्राथमिक, माध्यमिक तथा

तृतीयक क्षेत्रों में सकल राज्य घरेलू उत्पाद में क्रम 1: 4.7 प्रति 100, 6 प्रति 100 तथा 7.3 प्रति 100 की वृद्धि हुई। इसी प्रकार, स्थायी मूल्यों को आधार मान कर वर्ष 1998-99 में प्रति व्यक्ति आय बढ़ कर 13,084 रुपये होने का अनुमान है जबकि वर्ष 1997-98 के दौरान यह आय 12,539 रुपये थी।

2. वित्तीय प्रबन्धन

वेतन संशोधन के कारण बढ़े हुए खर्च के दायित्व, नौकरवादी नीति के वित्तीय संसाधनों पर प्रतिकूल प्रभाव तथा औद्योगिक मन्दी की लम्बी अवधि से वित्तीय घाटे में वृद्धि हुई है जिसके परिणामस्वरूप राज्य सरकार के कुल सार्वजनिक ऋण तथा देयताओं में वृद्धि हुई है। वित्तीय संतुलन की बहाली आज का मुख्य विचारणीय विषय है। समय की मांग है कि हम कुछ ऐसे नीतिगत निर्णय लें जिन से भविष्य में अधिक राजस्व जुटाने व खर्च पर नियन्त्रण रखने का मार्ग प्रशस्त हो तथा आर्थिक व सामाजिक क्षेत्रों की बुनियादी सुविधाओं में वृद्धि हो।

अन्तर्राज्यीय करों में समानता लाने व राज्य सरकारों के बीच प्रतिस्पर्धात्मक कर दरों में कटौती को समाप्त करने के उद्देश्य से राज्य सरकार द्वारा एकरूप बिक्री कर दरों को स्वीकार कर लिया गया है और उद्योगों के लिए बिक्री कर में छूट के प्रोत्साहन को समाप्त करने का निर्णय लिया गया है। अवस्थापना (इन्फ्रास्ट्रक्चर) क्षेत्रों में निजी निवेश को बढ़ाने तथा

सत्त विकास सुनिश्चित करने के लिए सुविधाजनक परिस्थितियों के सृजन हेतु नयी औद्योगिक नीति तैयार की गई है। खाली पड़े पदों की समाप्ति, नयी भर्ती पर रोक लगा कर सरकारी खर्च में कमी और करों की बेहतर वसूली करते हुये अतिरिक्त राजस्व जुटाना और कर प्रणाली का सुधार करना आदि कुछ उपाय किए जा रहे हैं। स्वयं कर-निर्धारण स्कीम लागू की गई जिसके अन्तर्गत 50 लाख रुपये से कम वार्षिक बिक्री वाले पंजीकृत व्यापारियों द्वारा अपने सम्बन्ध में दिए गये ब्यौरों की सामान्यतया संवीक्षा नहीं की जायेगी। बिक्री कर निर्धारण की प्रक्रिया को सरल बनाने के लिये बिक्री कर फार्म संख्या 14 तथा बिक्री कर फार्म संख्या 15 को समाप्त कर दिया गया है। चालू वर्ष के दौरान दिसम्बर, 1999 तक करों की वसूली में, गत वर्ष की इसी अवधि की तुलना में 13.49 प्रति शत की वृद्धि हुई है। इसके विपरीत बिक्री कर, यात्री कर, माल कर तथा अन्य कर, जिसमें मनोरंजन कर भी शामिल है, की वसूली में वर्ष 1997-98 की तुलना में वर्ष 1998-99 के दौरान केवल 1.75 प्रति शत की वृद्धि हुई थी।

हमारी यह पक्की धारणा है कि केन्द्रीय करों के अन्तरण का मूल उद्देश्य, केन्द्र तथा राज्यों के बीच संसाधनों के बंटवारे में मौजूदा असंतुलन को दूर करना होना चाहिये। इसके लिये विभाज्य करों का मुख्य अंश राज्यों को मिलना चाहिए क्योंकि अधिकांश राष्ट्रीय सामाजिक व आर्थिक नीतियां राज्यों द्वारा ही कार्यान्वित की जा रही हैं। अतः हमने ग्यारहवें वित्त

आयोग से आग्रह किया है कि वह केन्द्रीय करों के विभाज्य पूल का आकार बढ़ाये और उसमें राज्यों के हिस्से की प्रति गतता में वृद्धि करते हुए ऐसे वित्तीय अन्तरण का सूत्रपात करे, जिससे संतुलित प्रादेशिक विकास सुनिश्चित हो तथा राज्य सरकारें अपनी वित्तीय जिम्मेवारियां निभा सकें।

3. वार्षिक योजना 1999-2000

वित्तीय रूप से चालू वित्त वर्ष अत्याधिक कठिन सिद्ध हुआ है, क्योंकि अप्रत्याशित घटनाओं के कारण स्रोतों में कमी तथा खर्च में वृद्धि हुई। यह समय चिरकालिक आर्थिक मन्दी का दौर था। चालू वित्त वर्ष के पिछले कुछ महीनों में कर वसूली में सुधार के बावजूद राज्य करों से होनी वाली वसूली में हमारा लक्ष्य पूरा होने की संभावना नहीं है। गन्ना उत्पादकों के बकायों की अदायगी के लिये सहकारी चीनी मिलों हेतु 55 करोड़ रुपये की राशि, पेंशन सम्बन्धी लाभों के कारण बढ़े हुए खर्च के लिए 325.63 करोड़ रुपये, चुंगी समाप्त करने के कारण मुआवजे के रूप में भाहरी स्थानीय निकायों को 23.84 करोड़ रुपये, सहायता प्राप्त भौक्षणिक संस्थाओं के कर्मचारियों के वेतन संतोषन की देयता को पूरा करने के लिए 50.58 करोड़ रुपये के अतिरिक्त खर्च की मंजूरी देनी पड़ी। इस प्रकार, 2,300 करोड़ के मूल योजनागत खर्च को संतोषित कर 1,811.16 करोड़ रुपये किया गया, जो कि वर्ष 1998-99 के 1,522.91 करोड़ रुपये के वास्तविक योजनागत खर्च से 18.9 प्रति गत अधिक है। संसाधनों की कमी के बावजूद,

बिजली क्षेत्र के खर्च में कोई कटौती नहीं की गई और आयोजना आयोग के दिना-निर्देशों के अनुसार मूलभूत न्यूनतम सेवाओं का प्रावधान अपेक्षित स्तर पर रखा जा रहा है। वरिष्ठ नागरिकों, विधवाओं, निराश्रित एवं विकलांग व्यक्तियों के लिए पेंशन की दरें बढ़ाने हेतु सामाजिक सुरक्षा उपायों के लिए रखे गए आबंटन को भी बढ़ाया गया है।

संगोषित योजनागत खर्च के समुचित उपयोग हेतु विभिन्न अल्प बचत स्कीमों के अन्तर्गत प्रोत्साहन देने के भरसक प्रयत्न किए जा रहे हैं। वर्ष 1998-99 के दौरान 994 करोड़ रुपये की उपलब्धि के मुकाबले, चालू वर्ष के लिये 1,040 करोड़ रुपये का लक्ष्य रखा गया है। जैसा कि माननीय सदस्य जानते ही हैं कि केन्द्र सरकार द्वारा निवल अल्प बचत संग्रहण का 80 प्रतिशत राज्य सरकारों को ऋण के रूप में दिया जाता है। चालू वर्ष के दौरान इस ऋण के रूप में भारत सरकार से 700 करोड़ रुपये की तुलना में 742 करोड़ मिलने की संभावना है।

4. वार्षिक योजना 2000-2001

वर्ष 2000-2001 की वार्षिक योजना तैयार करते समय, विकास की गति तेज करने और समाज के सभी वर्गों के लिये उत्थान के अवसर जुटाने की मूल-भूत नीति को अपनाया गया है। वार्षिक योजना 2000-2001 का आकार 2,530 करोड़ रुपये नियत किया गया है, जो कि चालू वर्ष के 1,811.16 करोड़ रुपये के

सं गोधित खर्च से 39.7 प्रति ात अधिक है। 2,530 करोड़ रूपये के इस खर्च के लिए 1,506.48 करोड़ रूपये राज्य अपने स्त्रोतों से जुटायेगा और 1,023.52 करोड़ रूपये केन्द्रीय सहायता के माध्यम से प्राप्त होने की सम्भावना है।

योजना में आर्थिक सुविधाओं के निर्माण पर विशेष ध्यान दिया गया है, तदनुसार 1,632.35 करोड़ रूपये की राशि, जो कि कुल योजना खर्च का 64.5 प्रति ात है, बिजली, सिंचाई, सड़क तथा परिवहन के क्षेत्र के लिए निर्धारित की गई है, इसमें 626.73 करोड़ रूपये बिजली के लिए, 506.42 करोड़ रूपये सिंचाई के लिये और 499.20 करोड़ रूपये परिवहन क्षेत्र के लिए रखे गये हैं। बाढ़ सुरक्षा उपायों के लिए 20 करोड़ रूपये का आबंटन करके इसे प्राथमिकता दी गई है। सामाजिक सेवाओं के लिए किए गए प्रावधान में 657.45 करोड़ रूपये का खर्च रखा गया है, इसमें वरिष्ठ नागरिकों, निराश्रितों, विधवाओं और विकलांग व्यक्तियों को पें ान देने के लिए 320.23 करोड़ रूपये भी शामिल हैं। कृषि तथा समबद्ध कार्यों के लिए 111.80 करोड़ रूपये और ग्रामीण विकास के लिए 35.10 करोड़ रूपये का आबंटन किया गया है। प्राथमिक ि ाक्षा, स्वच्छ पेयजल, प्राथमिक स्वास्थ्य, अनुपूरक पोषण और आवास के क्षेत्रों में बुनियादी न्यूनतम सेवाएं उपलब्ध करवाने के लिए 120 करोड़ रूपये का प्रावधान किया गया है।

5. बिजली

हरियाणा सरकार अपने सभी उपभोक्ताओं को नियमित बिजली सप्लाई करने हेतु वचनबद्ध है। भीषण सूखे के बावजूद, पिछले सात महीनों के दौरान बिजली की औसत उपलब्धता 425 लाख यूनिट प्रतिदिन रही जबकि पिछले वर्ष इसी अवधि में बिजली की उपलब्धता सिर्फ 367 लाख यूनिट प्रतिदिन थी। राज्य सरकार द्वारा किये गये विशेष प्रयासों के कारण केन्द्रीय पूल से आबंटन 19 प्रतिशत से बढ़कर 27 प्रतिशत हो गया है। फरीदाबाद में राष्ट्रीय तापीय बिजली निगम के तत्वाधान में गैर आधारित प्लांट द्वारा बिजली पैदा करने वाली 143 मैगावाट क्षमता की दो इकाइयां आरम्भ की गई हैं। जून, 2000 तक तीसरी इकाई भी आरम्भ हो जाने की सम्भावना है। इसके साथ-साथ नये उप-केन्द्र स्थापित करके, लाइनें बिछा कर तथा वर्तमान उप-केन्द्रों की क्षमता में संवर्धन करके पारेशण तथा वितरण प्रणाली के सुदृढीकरण पर भी बल दिया जा रहा है। 11 के0वी0 क्षमता के अतिभार वाले 50 फीडरों का नवीकरण किया जा रहा है। 5,950 नये वितरण ट्रान्सफॉर्मर लगाये जा रहे हैं तथा पुरानी तारों को बदला जा रहा है। चालू वित्त वर्ष में जनवरी मास तक 13 नये ग्रिड उप-केन्द्र आरम्भ किये गये हैं तथा 97 ग्रिड उप-केन्द्रों की क्षमता में संवर्धन किया गया है। इसी अवधि के दौरान 264 किलोमीटर लम्बी अतिरिक्त उच्च वोल्टता वाली पारेशण लाइनें बिछाई गई हैं।

वर्ष 2000-2001 में 43 नये ग्रिड उप-केन्द्रों के निर्माण तथा वर्तमान 52 ग्रिड उप-केन्द्रों की क्षमता में संवर्धन का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इसके साथ-साथ 835 किलोमीटर लम्बी पारेशन लाईनें बिछाने का भी प्रस्ताव है। आगामी वार्षिक योजना अवधि के दौरान 591 एम0बी0ए0आर0 कैपेसिटर बैंक स्थापित किए जाने का भी प्रस्ताव है।

राज्य सरकार द्वारा बिजली क्षेत्र को पूर्ण बजट-समर्थन दिया जा रहा है। बिजली क्षेत्र हेतु आबंटन, वर्ष 1999-2000 में 928.58 करोड़ रुपये के सं गोधित खर्च से बढ़कर वर्ष 2000-2001 में 1,070.13 करोड़ रुपये कर दिया गया है।

6. सिंचाई

10.00 बजे भूमिगत जल संसाधनों की दोहन क्षमता सीमित होने के कारण उपलब्ध स्त्रोतों के समुचित उपयोग की सम्भावना बढ़ाने हेतु राज्य सरकार, जल संरक्षण तथा इसके प्रबन्धन पर अधिक बल दे रही है। तदनुसार, नहरों के अन्तिम छोर तक जल आपूर्ति में सुधार हेतु समय पर जल-मार्गों से घास-पात और गाद निकालने के कार्य को प्राथमिकता दी जा रही है। कमान क्षेत्र विकास प्राधिकरण द्वारा क्षेत्रीय जल-मार्गों को पक्का करने तथा उनके मरम्मत कार्य को उच्च प्राथमिकता दी जा रही है। इस पर होने वाला पूरा खर्च राज्य सरकार द्वारा वहन किया जा रहा है।

राज्य सरकार द्वारा वि व-बैंक की सहायता से जल संसाधन समेकन परियोजना कार्यान्वित की जा रही है। वर्तमान नहरों तथा नालों की बहाली, नहर प्रणाली के आधुनिकीकरण तथा नए नालों के निर्माण की स्कीमें इस परियोजना के अन्तर्गत आती हैं। इस परियोजना से सिंचाई क्षमता में वृद्धि होगी तथा बाढ़-नियन्त्रण में मदद मिलेगी। यह वर्ष, इस परियोजना का अन्तिम वर्ष होने के कारण इसकी अवधि में दो वर्ष की वृद्धि हेतु प्रयास किए जा रहे हैं तथा कुछ आवश्यक निर्माण-कार्य, जो कि परियोजना तैयार करते समय किसी भी कारणवश टूट गये थे, उन्हें सम्मिलित किया जा रहा है। जनसंख्या वृद्धि के कारण सीमित भू-संसाधनों का अधिकाधिक उपयोग किया जा रहा है। परिणामस्वरूप बाढ़ की विभीषिका प्रतिवर्ष बढ़ती जा रही है। जीवन, पशुओं तथा फसलों की क्षति से सभी व्यक्ति प्रभावित हो रहे हैं। हम, स्थिति में सुधार के लिये वचनबद्ध हैं। घग्घर नदी क्षेत्र के अन्तर्गत आने वाले कैथल, जींद, हिसार, फतेहाबाद तथा सिरसा जिलों की जल-निकास समस्या के स्थायी समाधान हेतु हिसार-घग्घर नाले के निर्माण की एक महत्त्वकांक्षी योजना तैयार की गई है, जिस पर लगभग 770 करोड़ रुपये खर्च होने की अनुमान है। इस स्कीम को डब्ल्यू आर0सी0पी0 में सम्मिलित करवाने हेतु वि व-बैंक प्राधिकारियों से आग्रह किया जा रहा है।

राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक प्राधिकारियों द्वारा ग्रामीण अवस्थापना विकास निधि के अन्तर्गत राज्य सरकार

के लिये निधियां मंजूर की जा रही हैं। अब तक 482 सिंचाई एवं जल निकास स्कीमों के निर्माण-कार्य हेतु 402.13 करोड़ रुपये की लागत वाली हरियाणा सिंचाई विभाग की आठ परियोजनायें मंजूर की जा चुकी हैं। बाढ़ नियन्त्रण के प्रयोजनार्थ, राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक से दड़बा-घग्घर नाले के निर्माण हेतु 10.82 करोड़ रुपये की लागत वाली एक नई परियोजना मंजूर करवाई गई है। राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक द्वारा हाल ही में मंजूर की गई 52.23 करोड़ रुपये की लागत वाली आर0आई0डी0एफ0 V-II परियोजना के अन्तर्गत 36 सिंचाई स्कीमों सहित रिवाड़ी तथा नारनौल जिले में चार अन्य बाढ़-नियन्त्रण निर्माण कार्य आरम्भ किये जायेंगे।

घग्घर नदी पर ओटू गांव के निकट वर्ष 1894 में वर्तमान ओटू वीयर का निर्माण किया गया था। इसका निर्माण सिंचाई प्रयोजनों हेतु उपयोग किए जा सकने वाले जल के भण्डारण के लिये किया गया था। ओटू झील, जिसमें 9,118 एकड़ फुट तक जल इकट्ठा किया जा सकता था, अब गाद के कारण इस की जल क्षमता घट कर 1,000 एकड़ फुट रह गई है। इसकी प्रतिस्थापना के सम्बन्ध में पर्याप्त समय से विचार किया जा रहा था। इसकी प्रतिस्थापना हेतु निर्माण-कार्य भुरु हो चुका है और इसके अक्टूबर, 2001 तक मुकम्मल हो जाने की सम्भावना है, इस पर 28.50 करोड़ रुपये खर्च होने का अनुमान है।

वर्ष 2000-2001 के लिए सिंचाई की विभिन्न योजनागत और योजनेत्तर स्कीमों के अन्तर्गत कुल 775.17 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। इसी प्रकार, लघु सिंचाई नलकूप निगम के योजनागत और योजनेत्तर खर्च के लिए 67.60 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।

7. भवन तथा सड़कें

सरकार, सड़कों की मरम्मत पर विशेष बल दे रही है। 1,660 किलोमीटर लम्बी सड़कों पर परत चढ़ाने तथा 301 किलोमीटर सड़कों के सुदृढीकरण व 113 किलोमीटर सड़कों के पुनर्निर्माण का कार्य जनवरी, 2000 तक पूरा हो चुका है। वर्ष 2000-2001 के दौरान, सड़कों को सुदृढ करने व पुनर्निर्माण करने तथा मरम्मत करने के लिए 582.11 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। 4.31 करोड़ रुपये की लागत से बनने वाला झज्जर और ढाण्ड का उप-मार्ग निर्माणाधीन है। सोनीपत में सोनीपत-रतधाना सड़क को मेरठ सोनीपत सड़क से जोड़ने वाले उप-मार्ग के लिए प्रासकीय मंजूरी दे दी गई है।

जैसा कि सदस्यों को ज्ञात ही है, निजी तथा सहकारी क्षेत्रों की भागीदारी द्वारा अवस्थापना विकास परियोजनाओं का तेजी से कार्यान्वयन करने के लिए हरियाणा राज्य सड़क तथा सड़क तथा पुल विकास निगम की स्थापना की गई थी। निगम ने आवास एवं भाहरी विकास निगम से 2 वर्ष की अवधि के लिए

296.01 करोड़ रुपये के ऋण के लिए बातचीत की है, ताकि 321 करोड़ रुपये की लागत से जिलों की चुनिंदा मुख्य व अन्य सड़कों में सुधार किया जा सके। वर्ष 2000-2001 के दौरान 160.05 करोड़ रुपये की लागत से 4,500 किलोमीटर लम्बी सड़कों पर परत चढ़ाने, उन्हें सुदृढ़ करने, पुनर्निर्माण करने, उन्हें ऊंचा उठाने और ग्रामीण क्षेत्र में सीमेंट-कंक्रीट द्वारा उन्हें पक्का करने का प्रस्ताव है।

सरकारी कर्मचारियों को सरकार आवास मुहैया करवाने के लिए वर्ष 2000-2001 में 13.45 करोड़ रुपये की लागत से चण्डीगढ़ के 39 सैक्टर में 504 मकान बनाने का प्रस्ताव है। 2.20 करोड़ रुपये की लागत से चाणक्यपुरी, नई दिल्ली में राज्य विश्राम गृह बनाने का प्रस्ताव है।

वर्ष 2000-2001 के लिये विभिन्न योजनागत और योजनेत्तर स्कीमों के अन्तर्गत भवनों के लिए कुल 41.73 करोड़ रुपये के बजट का प्रावधान किया गया है।

8. जन-स्वास्थ्य

ग्रामीण तथा भाहरी क्षेत्रों में पर्याप्त स्वच्छ पेयजल की व्यवस्था करना, बीमारियों की रोकथाम के लिये आवश्यक है। विभाग द्वारा किये गये नवीनतम सर्वेक्षण के अनुसार 331 और ऐसे गांव हैं, जिनमें 40 लिटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिनके अनुमोदित मानक से कम जल-सप्लाई होती है। आगामी वित्त वर्ष के दौरान, 350

गांवों में 40/55 लीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन की दर से पेयजल उपलब्ध कराने और 150 अन्य गांवों में 40 लीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन से 55 लीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन के स्तर तक जल-सप्लाई सुविधायें बढ़ाने का प्रस्ताव है। इस प्रयोजनाथ, राज्य न्यूनतम आवयकता कार्यक्रम के अन्तर्गत 29.50 करोड़ रूपये के योजनागत खर्च का लक्ष्य रखा गया है और त्वरित ग्रामीण जल-सप्लाई कार्यक्रम के अन्तर्गत लगभग 20 करोड़ रूपये की राशि भारत सरकार से प्राप्त होने की सम्भावना है।

राज्य के आठ जिलों अर्थात् हिसार, भिवानी, सिरसा, रोहतक, झज्जर, फतेहाबाद, महेन्द्रगढ़ और रिवाड़ी को पेयजल की अत्यधिक कमी का सामना करना पड़ता है। चालू वित्त वर्ष के दौरान, भारत सरकार की वित्तीय सहायता से इस क्षेत्र में 55 गांवों में बढ़ी हुई 70 लीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन जल-सप्लाई शुरू की गई है। आगामी वित्त वर्ष के दौरान भारत सरकार से प्राप्त होने वाली 15 करोड़ रूपये की सहायता से 150 और गांवों में जल-सप्लाई बढ़ाने का प्रस्ताव है।

भारत सरकार और हरियाणा सरकार की बराबर भागीदारी वाले त्वरित भाहरी जल-सप्लाई कार्यक्रम के अन्तर्गत 11 नगरों के लिये 1,467 लाख रूपये की लागत वाली स्कीमें तैयार की गई हैं तथा सोहना, पटौदी, नारनौंद और कनीना के नगरों में पेयजल सप्लाई का दर्जा बढ़ा कर 70 लीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन किया गया है। भोश सात नगरों अर्थात् बवानी खेड़ा, तावडू,

रतिया, खरखौदा, उचाना, असंध और कलानौर में निर्माण-कार्य प्रगति पर है। आगामी वित्त वर्ष 2000-2001 में इस कार्यक्रम के लिए राज्य के हिस्से के रूप में अलग से 150 लाख रुपये की राशि रखी गई है। आता है कि इस कार्य के लिए 150 लाख रुपये की राशि भारत सरकार द्वारा दी जायेगी। अम्बाला सदर, कैथल और भिवानी के नगरों में पेयजल सप्लाई के संवर्धन के लिए निर्माण-कार्य प्रगति पर है। आता है कि 29.70 करोड़ रुपये की बकाया राशि आगामी वित्त वर्ष में भारत सरकार से प्राप्त होगी, जिससे निर्माण-कार्य पूरा किया जा सकेगा।

यमुना कार्य योजना के अन्तर्गत, हरियाणा के 12 नगरों में मल परिशोधन संयंत्र लगाये जा रहे हैं। दिसम्बर, 1999 तक 187 करोड़ रुपये के कुल खर्च से 6 नगरों में 8 मल परिशोधन संयंत्र पहले ही आरम्भ किये जा चुके हैं और 3 मल परिशोधन संयंत्रों का कार्य प्रगति पर है। आगामी वित्त वर्ष के दौरान, यमुना कार्य योजना के अन्तर्गत 35 करोड़ रुपये का प्रावधान किये जाने का प्रस्ताव है।

9. कृषि तथा सम्बद्ध कार्य

गरीबी कम करने, आय तथा रोजगार के अवसर जुटाने, खाद्य सुरक्षा उपलब्ध कराने तथा उद्योग एवं सेवाओं हेतु घरेलु बाजार में अनुकूल परिस्थितियां पैदा करने के लिए कृषि का दीर्घकालिक और विस्तृत विकास अनिवार्य है। हरियाणा कृषि

प्रधान राज्य होने के कारण इसकी तीन चौथाई जनसंख्या प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से कृषि पर निर्भर है। खरीफ, 1999 के दौरान सूखे जैसी स्थिति के बावजूद, राज्य सरकार द्वारा समय पर खाद, बीज, बिजली पानी आदि की सप्लाई के कारण 116.15 लाख टन खाद्यान्नों, 7.19 लाख टन तिलहनों तथा कपास की 11.50 लाख गांठों का उत्पादन सुनिश्चित हुआ है।

चालू वर्ष के दौरान, उर्वरकों की खपत 8.71 लाख मीट्रिक टन (पोशकतत्व) होने की संभावना है जबकि पिछले वर्ष इसकी खपत 8.38 लाख मीट्रिक टन (पोशकतत्व) थी। वर्ष 1999-2000 के दौरान कृषि ऋणों का वितरण भी बढ़कर लगभग 2,097.60 करोड़ रुपये हो जाने की संभावना है जबकि पिछले वर्ष के दौरान 1,578.70 करोड़ रुपये के ऋण वितरित किये गये थे। कृषि उत्पादन में वृद्धि की दर बनाये रखने के लिए वर्ष 2000-2001 हेतु 126.50 लाख टन खाद्यान्नों, कपास की 12 लाख गांठों तथा 10.20 लाख टन तिहलनों के उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है।

निवाहिक की पहाड़ियों की तराई में मिट्टी का कटाव रोकने तथा भूमि की उत्पादकता में सुधार लाने हेतु वि. व. बैंक की सहायता से एकीकृत जल-विभाजन विकास परियोजना कार्यान्वित की जा रही है। प्रथम चरण (1990-1999) के अन्तर्गत कुल 61.60 करोड़ रुपये की लागत से 1.04 लाख हैक्टेयर क्षेत्र का विकास किया गया है। द्वितीय चरण (1999-2004) के अन्तर्गत

102.12 करोड़ रुपये की लागत से 70,472 हैक्टेयर अतिरिक्त क्षेत्र विकसित किये जाने का प्रस्ताव है। वर्ष 2000-2001 के दौरान इस परियोजना हेतु 20 करोड़ रुपये की राशि प्रस्तावित की गई है। राज्य सरकार ने सिंचित क्षेत्रों के विकास हेतु 50 करोड़ रुपये की विशेष सहायता देने के लिए भी ग्यारहवें वित्त आयोग से अनुरोध किया है। डच सरकार से सहायता प्राप्त ऑपरेशन पायलट परियोजना के अन्तर्गत 6.11 करोड़ रुपये खर्च करके 1,253 हैक्टेयर क्षेत्र का पहले ही सुधार किया जा चुका है। कलायत खण्ड में 1,000 हैक्टेयर भूमि के उपचार हेतु यह परियोजना मार्च, 2002 तक बढ़ा दी गई है। अगले वित्त वर्ष के दौरान, 3 करोड़ रुपये खर्च किये जाने का प्रस्ताव है। राज्य सरकार ने राज्य में लवणता और सेम की समस्या के समाधान हेतु एक विशेष परियोजना मंजूर करने के लिए भी ग्यारहवें वित्त आयोग से अनुरोध किया है।

हरियाणा राज्य कृषि विपणन बोर्ड को नयी मण्डियों के विकास और वर्तमान मण्डियों में किसानों को बेहतर सुविधायें प्रदान करने के लिए अतिरिक्त ग्रामीण सड़कों के निर्माण तथा मरम्मत का कार्य भी सौंपा गया है। बोर्ड द्वारा 263.31 करोड़ रुपये की लागत से किये जाने वाले 1,203 नये और विशेष मरम्मत कार्य अनुमोदित किये गये हैं। मण्डी व्यापार को बढ़ावा देने के लिए जनवरी, 2001 से 21 वस्तुओं पर मार्किट भुल्क दो प्रतिशत से घटाकर एक प्रतिशत कर दिया गया है। (गुप्ता जी)

हमारे राज्य की आय बढ़ाने में योगदान, ग्रामीण उत्थान तथा दूध, अण्डे, मांस एवं ऊन जैसे पशुधन उत्पादों में वृद्धि की संभावना और रोजगार के नये अवसर पैदा करने के कारण ग्रामीण अर्थव्यवस्था में पशुपालन का महत्वपूर्ण स्थान है। वास्तव में, हरियाणा में पशुपालन उद्योग के रूप में परिवर्तित हो गया है। भारतवर्ष के भौगोलिक क्षेत्र के केवल 1.3 प्रतिशत क्षेत्रफल वाले इस राज्य का 621 मिलिग्राम प्रति व्यक्ति प्रतिदिन दुग्ध उपलब्धता के साथ देश में दूसरा स्थान है।

राज्य में पशुधन, विशेषतः गाय और भैंसों की संख्या बढ़ाने और पशुधन विकास सुनिश्चित करने हेतु हरियाणा सरकार द्वारा हरियाणा पशुधन विकास बोर्ड का गठन किया गया है, जो पशुधन उत्पादन तथा उत्पादकता में सुधार हेतु आवश्यक कार्य करेगा। यह बोर्ड, राज्य में पशुओं के आनुवंशिकी स्टॉक में सुधार लाने, मुरा जर्मप्लाजमा के परिरक्षण और उसे बहुगुणित करने तथा उसका निर्यात करने में सहायता देने हेतु उपाय करेगा। यह बोर्ड पशुधन में सुधार लाने के लिए तकनीकी जानकारी देकर, कृत्रिम वीर्य सेचन की व्यवस्था करके, एम्बरयो अन्तरण प्रौद्योगिकी और अन्य सम्बद्ध प्रजनन सुविधायें देकर किसानों की सहायता करेगा।

राज्य में वर्ष 1995-96 से चलाई जा रही कृषि मानव संसाधन विकास परियोजना का 2000-2001 अन्तिम वर्ष है। इस परियोजना पर कुल 8.92 करोड़ रुपये खर्च होंगे। इस परियोजना

का उद्देश्य, विभाग में मास्टर प्रशिक्षक और प्रशिक्षणार्थी-प्रशिक्षक बना कर अमले की क्षमताओं को पुनः बढ़ाना है। ये प्रशिक्षक, सेवारत व्यक्तियों को प्रशिक्षण देंगे, जिससे उनके ज्ञान और कौशल के स्तर में वृद्धि होगी। वर्ष 2000-2001 के लिये 476.18 लाख रुपये की राशि मंजूर की गई है, जबकि वर्ष 1999-2000 में इसके लिये 150 लाख रुपये का प्रावधान किया गया था।

कृषि क्षेत्र के अन्तर्गत कृषि, पशुपालन, बागवानी, मछली पालन, डेरी विकास तथा हरियाणा कृषि विविद्यालय हेतु वर्ष 2000-2001 के लिये 308.83 करोड़ रुपये के योजनागत या योजनेतर व्यय का प्रावधान किया गया है।

10. वन

हरियाणा, मुख्यः कृषि प्रधान राज्य होने के कारण, राज्य के कुल क्षेत्रफल में कृषियोग्य भूमि का अनुपात बहुत अधिक है। कुल भौगोलिक क्षेत्र का केवल थोड़ा सा भाग वनों के अधीन है। वन विभाग कृषि वानिकी के अन्तर्गत कृषि फसलों के साथ-साथ विभिन्न किस्म के तेजी से बढ़ने वाले वृक्ष लगाने, फार्म वानिकी को अपनाने, घटिया किस्म की पंचायत भूमि एवं गति शील रेत के टीलों पर वनरोपण करने के कार्यक्रम के एकीकरण द्वारा तथा लोगों की सक्रिय भागीदारी से, राज्य में वृक्षाधीन क्षेत्र 360 वर्ग किलोमीटर तक बढ़ाने में सफल रहा है। वन विभाग द्वारा

िवालिक पहाड़ियों में संयुक्त वन प्रबन्धन हेतु प्रचार किया जा रहा है। वनों के प्रबन्धन के लिये िवालिक क्षेत्र में अब तक लगभग 50 पहाड़ी संसाधन प्रबन्ध समितियां बनाई जा चुकी हैं और दक्षिणी हरियाणा में 294 ग्राम वन समितियां गठित की जा चुकी हैं। वर्ष 2000-2001 के लिए वानिकी तथा भू-संरक्षण कार्यक्रम के अन्तर्गत 3,320 लाख रूपये का योजनागत खर्च निर्धारित किया गया है।

11. सहकारिता

हरियाणा के सहकारी आन्दोलन में 18,409 सहकारी समितियां हैं, जिनकी कुल सदस्य संख्या 44.13 लाख है। यह संख्या राज्य की जनसंख्या का लगभग 26 प्रति ात है। इस आन्दोलन द्वारा सदस्यों को अपने संगठन चलाने के लिए नेतृत्व गुण ग्रहण करने में सहायता की जाती है। पटवार मण्डल स्तर पर कार्यरत 2,310 मिनी बैंकों द्वारा हमारे ग्रामवासियों को अल्प अवधि ऋण सुविधायें प्रदान की जा रही हैं। कृषि उत्पादकता बढ़ाने के लिये दीर्घ अवधि ऋण देने हेतु 87 प्राथमिक कृषि तथा ग्रामीण विकास बैंक खण्ड स्तर पर कार्यरत हैं। हरियाणा में किसान ऋण कार्य स्कीम भुरू करके उधारकर्ताओं के वित्तीय आधार के विस्तार और 5 एकड़ से अधिक भूमि वाले प्रत्येक उधारकर्ता को 2 लाख रूपये तक ऋण देकर परिक्रामी नकद उधार स्कीम भुरू करने का महत्वपूर्ण कार्य किया गया है। अल्प अवधि ऋण संरचना में केन्द्रीय सहकारी बैंकों की ऋण भाखाओं में विविधता लाने के

लिये उपभोक्ता दीर्घ अवधि ऋण, व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में पढ़ने वाले विद्यार्थियों की उच्च शिक्षा के लिए उनके माता पिता को ऋण देना और व्यापारियों की सी0सी0एल0 और व्यावसायियों को ओवर ड्राफ्ट की सुविधा देने जैसी नई स्कीमें लागू की जा रही हैं, जो कि हरियाणा में सरकारी ऋण आन्दोलन के लिये प्रतिशठा की बात है।

राज्य में दस सहकारी चीनी मिलें कार्य कर रही हैं, जिनकी कुल पिराई क्षमता 19,550 टन प्रतिदिन है। आता है कि इस वर्ष में लगभग 283 लाख क्विंटल प्रतिदिन गन्ने की पिराई होगी, जबकि गत वर्ष 249 लाख क्विंटल प्रतिदिन गन्ने की पिराई हुई थी।

राज्य सरकार अपने किसानों को गन्ने का लाभकारी मूल्य देने के लिये वचनबद्ध है। राज्य में गन्ने की विभिन्न किस्मों का निर्धारित मूल्य 104 रूपये, 106 रूपये तथा 110 रूपये प्रति क्विंटल है। गन्ने की सप्लाई के 14 दिनों के अन्दर-अन्दर अदायगी सुनिश्चित करने के लिए आदेश जारी किए गये हैं। इस वचनबद्धता को पूरा करने के लिए बकायों की अदायगी हेतु चीनी मिलों के लिए 55 करोड़ रूपये की अतिरिक्त राशि मंजूर की गई है। जिला सिरसा में पन्नीवाला मोटा में तथा जिला सोनीपत में गोहाना में दो नई चीनी मिलें स्थापित की जा रही हैं, जिन पर 100 करोड़ रूपये का खर्च आने का अनुमान है। पलवल और जींद की चीनी मिलों की पिराई क्षमता बढ़ाकर वर्तमान 1,250

टन प्रतिदिन से 2,500 टन प्रतिदिन कर दी जाएगी। जो चिन्ता थी वह मिट जायेगी आगामी वित्त वर्ष के दौरान जिला सिरसा में कालांवली तथा डींग में पांच करोड़ रुपये की लागत से दो नई चावल मिलें हैफेड द्वारा भुरु की जायेगी। हैफेड द्वारा जिला सिरसा में सकता-खेड़ा में 330 लाख रुपये की लागत से प पु चारा संयंत्र भी लगाया जा रहा है।

वर्ष 2000-2001 के दौरान सहकारिता क्षेत्र के लिये कुल 28.82 करोड़ रुपये का आबंटन किया गया है।

12. उद्योग

वर्ष 1966 में गठन के समय अपेक्षाकृत पिछड़ा राज्य हरियाणा अब प्रगति गिल एवं गति गिल राज्य बन कर उभरा है। हरियाणा राज्य की प्रभावी आर्थिक इन्फ्रास्ट्रक्चर सुविधाओं के कारण आधुनिक तथा उच्च प्रौद्योगिकी उद्योगों को स्थापित करने के लिए एक आकर्षक लक्ष्य स्थान बन गया है। परिणामस्वरूप बड़े तथा माध्यम उद्योगों की संख्या, वर्ष 1966 में 162 से बढ़कर दिसम्बर, 1999 के अन्त तक 1023 हो गई है। इसी प्रकार, इस समय राज्य में लगभग 73,500 लघु उद्योग इकाइयां कार्य कर रही है। निर्यात के क्षेत्र में, राज्य द्वारा उल्लेखनीय प्रगति की गई है। वर्ष 1998-99 में हरियाणा राज्य ने 4,163 करोड़ रुपये का रिकार्ड निर्यात किया जबकि वर्ष 1997-98 के दौरान 2,961 करोड़ रुपये का निर्यात किया गया था।

आकार में छोटा होने के बावजूद, औद्योगिक उद्यमकर्ता ज्ञापन भरने के क्षेत्र में देश में हरियाणा राज्य छठे स्थान पर है। हरियाणा में लगभग 48 प्रतिशत ज्ञापन कार्यानिवित हुए हैं। जबकि अखिल भारतीय औसत 35 प्रतिशत है। चालू वित्त वर्ष के दौरान फरवरी, 2000 तक 78 ज्ञापन भरे जा चुके हैं, जिनसे 1,000 करोड़ रुपये का निवेश आकर्षित होगा।

आर्थिक विकास की गति तेज करने के लिए राज्य सरकार द्वारा नई औद्योगिक नीति बनायी गयी है। यह नीति 11 नवम्बर, 1999 को अधिसूचित की गयी थी। इस नीति का बुनियादी लक्ष्य नये निवेशकों को आकर्षित करना, वर्तमान उद्योग को विकसित करना, आगामी पांच वर्षों में औद्योगिक क्षेत्रों में 20 प्रतिशत रोजगार के अवसर बढ़ाना, आर्थिकता के सभी क्षेत्रों में और अधिक निवेशकों के माध्यम से लगातार आर्थिक विकास प्राप्त करना तथा इनके माध्यम से सकल राज्य घरेलू उत्पाद में उद्योग के हिस्से को बढ़ाना है।

इन लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए मुख्यमंत्री, हरियाणा की अध्यक्षता में एक आर्थिक विकास बोर्ड की स्थापना की गई है। नीति निर्धारण, मॉनीटरिंग तथा नीतियों का कार्यान्वयन तथा विभिन्न विभागों के कार्यों में तालमेल करने के लिए मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक उच्च अधिकार प्राप्त समिति का गठन किया गया है।

सूचना प्रौद्योगिकी का विकास तथा इसका आधुनिक प्रबन्धन में व्यापक प्रयोग, नयी औद्योगिक नीति का एक हिस्सा है। प्रशासन में पारदर्शिता, उत्तरदायित्व एवं दक्षता लाने के लिए सूचना सम्बन्धी आंकड़ों का बैंक बनाया जाएगा तथा सभी क्षेत्रों में आटोमेशन को प्राथमिकता दी जायेगी।

नई औद्योगिक नीति में जिला स्तर पर मंजूरी देने की प्रणाली के अन्तर्गत एकल खिड़की सेवा को सुदृढ़ किया जाएगा। देरी को समाप्त करने के लिए विभिन्न विभागों द्वारा मंजूरी देने के लिए एक समय अनुसूची तैयार की गई है। सभी प्रकार की नाकाबन्दी को समाप्त कर दिया गया है। राज्य सरकार द्वारा नई औद्योगिक इन्फ्रास्ट्रक्चर विकास नीति तैयार की गई है। यह नीति 11 नवम्बर, 1999 से लागू हो गई है। औद्योगिक भूमि के नियतन तथा औद्योगिक प्लाटों के अन्तरण की प्रक्रिया को सरल बनाया गया है।

राज्य में औद्योगिक निवेश को बढ़ावा देते हेतु राज्य सरकार ने नयी औद्योगिक नीति, 1999 द्वारा कुछ महत्वपूर्ण क्षेत्रों का पता लगाया है। इनमें कृषि आधारित एवं खाद्य विधायन उद्योग, इलैक्ट्रॉनिकी, सूचना प्रौद्योगिकी एवं दूरसंचार, आटोमॉबाइल, ऑटोमोटिव संघटक तथा हल्के एवं मध्यम इंजीनियरी उद्योग, हथकरघा, हौजरी, कपड़ा तथा वस्त्र विनिर्माण, निर्यातोन्मुखी इकाइयां सम्मिलित हैं।

हरियाणा राज्य औद्योगिक विकास निगम, औद्योगिक अवस्थापना के सृजन के साथ-साथ उद्योगों की दीर्घ अवधि ऋणों की आव यकता को पूरा करता है। वर्ष 1999-2000 के दौरान फरवरी, 2000 तक हरियाणा राज्य औद्योगिक विकास निगम द्वारा 36.03 करोड़ रुपये के ऋण वितरित किये गये। इसी प्रकार, हरियाणा वित्त निगम उद्योगों की अल्प अवधि ऋणों की आव यकता को पूरा करता है तथा फरवरी, 2000 तक इसने 52.62 करोड़ रुपये के ऋण वितरित किए हैं।

13. स्वास्थ्य सेवायें

उत्तम स्वास्थ्य मानव जीवन की सर्वोत्तम पूंजी है। हमारे नागरिकों की इस पूंजी के परिरक्षण के लिए राज्य में 2,299 उप-केन्द्रों, 401 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों, 64 सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों तथा 44 अस्पतालों के माध्यम से स्वास्थ्य सेवायें प्रदान की जा रही हैं।

सदस्यगण को याद होगा कि जब महाराजा अग्रसेन चिकित्सा महाविद्यालय को अनुदान देना बन्द किया गया था तब सभी ने यह अनुभव किया था कि यदि सरकारी मदद उपलब्ध नहीं करवाई गई तो इस महाविद्यालय का विकास अवरूद्ध हो जायेगा। हमने इस सम्बन्ध में वायदा किया था तथा इस चिकित्सा महाविद्यालय का अनुदान बहाल करके हमने अपना वायदा निभा दिया है।

हमारी सरकार, वर्ष 2000 तक पोलियो उन्मूलन के लिये वचनबद्ध है। पोलियो रोग को भून्य स्तर पर लाने के लिये चालू वित्त वर्ष के दौरान पूरे राज्य में चार चरणों में पल्स पोलियो कार्यक्रम कार्यान्वित किया गया और 0 से 5 वर्ष की आयु वर्ग के लगभग 29 लाख बच्चों को पोलियो की खुराक दी गई।

प्रदे 1 में उच्च कोटि की परिवार कल्याण तथा बाल स्वास्थ्य देखभाल सेवायें प्रदान करने के लिये वि व बैंक की सहायता से प्रजनन बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम भुरु किया गया है। इस परियोजना के लिये नकद तथा सामान के रूप में 131.17 करोड़ रुपये की सहायता प्राप्त हुई है। इसके अतिरिक्त, जिला भिवानी और फरीदाबाद में क्रम 1: 6.18 करोड़ रुपये तथा 7.83 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता से उप-परियोजनायें आरम्भ की गई हैं। इस उप-परियोजनाओं के कार्यान्वयन तथा आई0ई0सी0 गतिविधियों पर दिसम्बर, 1999 तक 2.06 करोड़ रुपये की राशि पहले ही खर्च की जा चुकी है।

लोगों को उच्च कोटि की स्वास्थ्य सेवायें प्रदान करने के लिये यूरोपियन कमीशन से अनुदान प्राप्त करने हेतु एक परियोजना तैयार की जा रही है। पूरे दे 1 में 21 जिलों का चयन किया गया है, जिसमें से तीन जिले हरियाणा के होंगे। यूरोपियन कमीशन द्वारा दे 1 में लगभग 1,000 करोड़ रुपये की राशि खर्च की जायेगी, जिसमें से हरियाणा को आनुपातिक राशि मिलने की संभावना है।

वर्ष 2000-2001 के दौरान विभिन्न योजनागत तथा योजनेतर स्कीमों के अन्तर्गत स्वास्थ्य सेवाओं के लिए 363.21 करोड़ रुपये की राशि आवंटित की गई है।

14. शिक्षा

शिक्षा सुविधाओं के विस्तार तथा शिक्षा में गुणात्मक सुधार करके प्राथमिक शिक्षा को सर्वव्यापी बनाना राज्य की मुख्य प्राथमिकता रही है। इस लक्ष्य की प्राप्ति हेतु स्थानीय समुदाय तथा पंचायतों के सक्रिय सहयोग से इस वर्ष विशेष दाखिला अभियान चलाये गये। दाखिलों में वृद्धि तथा बच्चों, विशेषतः अनुसूचित जातियों के बच्चों को विद्यालय में बनाये रखने के लिये शिक्षा की आवश्यकता और इसके महत्व के सम्बन्ध में लोगों में जागरूकता पैदा करने के लिए इलैक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से व्यापक प्रचार किया जाता है। इसके अतिरिक्त दाखिलों तथा श्रेणी I से V तक के बच्चों को विद्यालय में बनाये रखने में बेहतर कार्य करने वाली ग्राम पंचायतों और अध्यापकों को नकद पुरस्कार दिये जाते हैं।

जहां तक उच्चतर शिक्षा का सम्बन्ध है, चालू वित्त वर्ष के दौरान इसराना और रतिया में दो नये राजकीय महाविद्यालय खोलने की मंजूरी दी गई है। एक निजी प्रबन्ध समिति को बल्लभगढ़ में राष्ट्रीय विधि संस्थान चलाने की अनुमति प्रदान की गई है। विद्यार्थियों, विशेषतः कमजोर वर्गों के विद्यार्थियों को

उच्चतर शिक्षा की ओर आकर्षित करने के लिये विभिन्न छात्रवृत्तियां दी जा रही हैं, जिन पर चालू वित्त वर्ष के दौरान 2.29 करोड़ रुपये खर्च आयेगा। माननीय सदस्यों को यह जानकर प्रसन्नता होगी कि सरकार द्वारा 40 करोड़ रुपये की वार्षिक देयता से महाविद्यालयों तथा वि वि विद्यालयों के अध्यापकों के वेतनमान, वि वि विद्यालय अनुदान आयोग की पद्धति पर पहली जनवरी, 1996 से संशोधित किये गये हैं। सरकार द्वारा राज्य के वि वि विद्यालयों के गैर-शिक्षण कर्मचारियों के वेतनमान भी संशोधित किये जाने की मंजूरी दी गई है।

तकनीकी शिक्षा विभाग, प्रयोक्ता उद्योगों, विभागों तथा अन्य एजेंसियों की आवश्यकताओं को पूरा करने हेतु प्रौद्योगिकी के विभिन्न क्षेत्रों में तकनीकी रूप से प्रशिक्षित व्यक्ति उपलब्ध करवाने के लिये उत्तरदायी है। वर्ष 2000-2001 के लिये तकनीकी शिक्षा विभाग हेतु 18 करोड़ रुपये का योजनागत आबंटन किया गया है।

औद्योगिक प्रशिक्षण एवं व्यावसायिक शिक्षा विभाग 192 औद्योगिक प्रशिक्षण तथा व्यावसायिक शिक्षा संस्थानों के नेटवर्क के माध्यम से समस्त राज्य में लगभग 30,000 विद्यार्थियों को प्रशिक्षण दे रहा है। महिलाओं के स्व-रोजगार पर विशेष प्रोत्साहन बल दिया जा रहा है और इस समय 34 संस्थान केवल महिलाओं के लिए हैं।

वर्ष 2000-2001 के दौरान शिक्षा के क्षेत्र के लिए कुल 1,352.99 करोड़ रुपये के योजनागत तथा योजनेतर खर्च का प्रावधान किया गया है, जिसमें 498.07 करोड़ रुपये प्राथमिक शिक्षा के लिये 513.82 करोड़ रुपये माध्यमिक शिक्षा के लिये, 231.16 करोड़ रुपये उच्चतर शिक्षा के लिये, 27.69 करोड़ रुपये कला, संस्कृति, खेलकूद एवं युवा सेवाओं के लिए, 38.36 करोड़ रुपये तकनीकी शिक्षा के लिए, 43.89 करोड़ रुपये व्यावसायिक एवं औद्योगिक प्रशिक्षण कार्यक्रमों के लिए शामिल हैं।

15. समाज कल्याण

माननीय सदस्यगण देना की सीमाओं की रक्षा करने में हरियाणा के योगदान से भली भांति परिचित हैं। हरियाणा के सूरवीर सैनिकों द्वारा कारगिल तथा अन्य क्षेत्रों में ऑपरेशन विजय के दौरान की गई आदर्श सेवाओं का सम्मान करते हुए राज्य सरकार ने प्रथम अप्रैल, 1999 से युद्ध में भागीदारी करने वाले अधिकारियों तथा जवानों के लिये अनुग्रह अनुदान बढ़ाकर एक समान 10 लाख रुपये, 70 प्रतिशत और इससे अधिक अक्षमता वाले सैनिकों का अनुदान बढ़ाकर 6 लाख रुपये, 50 प्रतिशत से अधिक परन्तु 70 प्रतिशत से कम अक्षमता वाले सैनिकों का अनुदान बढ़ाकर 4.50 लाख रुपये, तथा 50 प्रतिशत से कम अक्षमता वाले सैनिकों का अनुदान बढ़ाकर 3 लाख रुपये कर दिया है। हरियाणा सरकार द्वारा कारगिल ऑपरेशन के 63 आश्रितों को रोजगार दिया गया है।

समाज के कमजोर वर्गों के प्रति अपनी वचनबद्धता पूरी करते हुए सरकार ने कन्यादान स्कीम आरम्भ की है। इस स्कीम के अंतर्गत हरियाणा की अनुसूचित जातियों की लड़कियों के विवाह के अवसर पर उनके माता-पिता को 5,100 रुपये का अनुदान दिया जाएगा। यह अनुदान इस भाँति पर दिया जायेगा कि परिवार गरीबी रेखा से नीचे जीवन-यापन कर रहा हो व विवाह के समय लड़की की आयु 18 वर्ष से अधिक हो। यह सुविधा एक परिवार में अधिक से अधिक दो लड़कियों के विवाह तक ही उपलब्ध होगी।

वयोवृद्ध नागरिकों, विकलांगों, विधवाओं और निराश्रितों के प्रति अपने कर्तव्य के बारे में पूर्ण सजगता का परिचय देते हुये इनकी पेंशन राशि 100 रुपये से बढ़ाकर 200 रुपये प्रतिमास की गई है। वृद्धावस्था पेंशन के लिए पात्रता की भाँति सरल बना दी गई हैं और सभी पात्र लाभानुभोगियों तक इसका लाभ पहुंचाने के लिये नया सर्वेक्षण किया गया है। वर्ष 2000-2001 के दौरान वयोवृद्ध नागरिकों, विकलांगों, विधवाओं और निराश्रितों को पेंशन के रूप में 320.23 करोड़ रुपये की राशि वितरित किये जाने का प्रस्ताव है।

अपने बच्चों, महिलाओं व वृद्धों का ध्यान न रखने वाले समाज का भीष्म ही पतन हो जाता है, कहने की आवश्यकता नहीं कि हम इन सबके प्रति सजग हैं। हमारे निर्णयों से ही इस बात की पुष्टि हो जाती है। इस दिशा में कार्य करते हुये हमने राज्य महिला आयोग स्थापित करने के सम्बन्ध में लम्बे समय से महसूस

की जा रही आवकता को पूरा कर दिया है, जो महिलाओं की दृष्टि सुधारने के लिए विधायी पहलुओं और महिलाओं से सम्बन्धित विभागीय नीतियों पर सरकार को सलाह देने के लिए एक परामर्श संस्था के रूप में कार्य करेगा।

स्थायी रोजगार हेतु अनुसूचित जातियों के परिवारों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से स्थापित हरियाणा हरिजन कल्याण निगम द्वारा वर्ष 2000-2001 के दौरान 12,000 परिवारों को 37.23 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान किये जाने का प्रस्ताव है। इसके अतिरिक्त, वर्ष 2000-2001 के दौरान हरियाणा पिछड़ा एवं कमजोर वर्ग कल्याण निगम भी पिछड़े तथा अल्पसंख्यक वर्गों के व्यक्तियों को 6.50 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान करेगा।

वर्ष 2000-2001 के बजट अनुमानों में समाज कल्याण क्षेत्र के लिए कुल 465.50 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।

16. ग्रामीण विकास

गरीबी उन्मूलन और ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसर जुटाना हमारी सरकार की प्राथमिकता है। भारत सरकार द्वारा चालू वित्त वर्ष में भुरु की गई स्वर्ण-जयन्ती ग्राम स्व-रोजगार योजना गरीबों को स्व-सहायता समूहों में संगठित करने, गरीबी रेखा से नीचे जीवन-यापन करने वाले परिवारों के लिए प्रशिक्षण, ऋण, प्रौद्योगिकी, अवस्थापना तथा विपणन की

सुविधायें प्रदान करने जैसे स्व-रोजगार के सभी पहलुओं को भागिल करने वाला पावन कार्यक्रम है। इस स्कीम के अंतर्गत दिसम्बर, 1999 तक अनुसूचित जाति के 1,719 व्यक्तियों तथा 1,795 महिलाओं सहित 4,026 लाभानुभोगियों को 335.99 लाख रूपये की वित्तीय सहायता प्रदान की गई है।

पुनर्गठित जवाहर ग्राम समृद्धि योजना के अंतर्गत चालू वित्त वर्ष के दौरान दिसम्बर तक 1,633.81 लाख रूपये खर्च करके ग्रामीण क्षेत्रों में 11.83 लाख श्रम-दिवस जुटाये गये हैं। स्थानीय स्तर पर यह परिसम्पत्ति के सृजन हेतु एक स्कीम है और इसके अन्तर्गत ग्राम पंचायतें अपनी आवयकतानुसार कोई भी विकास कार्य भुरू कर सकती हैं। अब समूची निधियां ग्राम पंचायतों को जारी की जा रही हैं। सुनिश्चित रोजगार स्कीम के अंतर्गत दिसम्बर, 1999 तक ग्रामीण क्षेत्रों में 6.73 लाख श्रम-दिवस जुटाने के लिए 11.82 करोड़ रूपये की राशि खर्च की गई है।

निर्धन ग्रामीणों की आवास सम्बन्धी आवयकताओं को पूरा करने के लिए इंदिरा आवास योजना के अंतर्गत दिसम्बर, 1999 तक 4,581 मकानों का निर्माण दिया किया जा चुका था और 1,535 मकानों का निर्माण-कार्य प्रगति पर था। माननीय सदस्यगण इस बात की प्रतीक्षा करेंगे कि चालू वित्त वर्ष के दौरान 'ग्रामीण आवास ऋण एवं उपदान' नामक एक नयी योजना भुरू की गई है, जिससे 32 हजार रूपये वार्षिक से कम आय वाले ग्रामीण परिवार लाभान्वित होंगे। इस स्कीम के अन्तर्गत केन्द्र सरकार द्वारा वर्ष

1999-2000 के लिए 98.98 लाख रुपये की राशि आबंटित की गई है।

मैं इस गरिमामय सदन को बताना चाहूंगा कि चालू वित्त वर्ष के दौरान गलियों को पक्का करने, विद्यालयों में कमरों के निर्माण, पशु चिकित्सालयों, सिविल औषधालयों, ग्रामीण सड़कों, ग्रामीण पेयजल आपूर्ति, कम लागत के भौचालयों इत्यादि विभिन्न ग्रामीण अवस्थापना स्कीमों हेतु एच.आर.डी.एफ. से 128.04 करोड़ रुपये की राशि जारी की गई है।

वर्ष 2000-2001 के दौरान ग्रामीण विकास, गरीबी उन्मूलन तथा सामुदायिक विकास के विभिन्न कार्यक्रमों के लिए 73.61 करोड़ रुपये की राशि का प्रावधान किया गया है।

17. नगरपालिका प्रशासन एवं भाहरी विकास

माननीय अध्यक्ष महोदय, हम भाहरी क्षेत्रों के लोगों के प्रति भी चिंतित हैं और उनके लिए सर्वोत्तम नगरपालिका सेवाएं तथा नागरिक सुविधाएं सुनिश्चित करने हेतु वचनबद्ध हैं। आगामी वित्त वर्ष के दौरान भाहरी गन्दी बस्तियों के पर्यावरण में सुधार, राष्ट्रीय गन्दी बस्ती विकास कार्यक्रम, लघु तथा मध्यम दर्जे के भाहरों के एकीकृत विकास, भाहरी कचरा प्रबन्धन इत्यादि जैसी विभिन्न स्कीमों के अंतर्गत राज्य की 53 नगरपालिकाओं को 18 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता दिये जाने का प्रस्ताव है।

सरकार, प्रथम राज्य वित्त आयोग द्वारा निधियों के अन्तरण तथा भाहरी स्थानीय निकायों द्वारा अपने संसाधनों में सुधार लाने के उपायों के सम्बन्ध में की गई सिफारिशों पर सक्रिय रूप से विचार कर रही है। हमने कुछ नगरपालिकाओं को उनकी वेतन सम्बन्धी जरूरतों को पूरा करने के लिए अनुदान दिया है और कुछ वित्तीय रूप से कमजोर नगरपालिकाओं को समाप्त कर दिया है। परन्तु इसके साथ ही हम यह भी नहीं चाहते कि ऐसा करने से फालतू घोषित अमले को किसी प्रकार की कठिनाई का सामना करना पड़े। इसलिए हमने उनको अन्य विभागों में समायोजित करने का निर्णय लिया है।

राज्य सरकार द्वारा पहली नवम्बर, 1999 से चुंगी समाप्त कर दी गई है। चुंगी से व्यापार तथा उद्योग के सुचारु प्रवाह में बाधा उत्पन्न हो रही थी और चुंगी संग्रहण की लागत भी बहुत अधिक थी। राज्य सरकार, चुंगी समाप्ति से नगरपालिकाओं को होने वाली राजस्व हानि की क्षति पूर्ति करने हेतु वचनबद्ध है तथा वर्ष 1999-2000 के दौरान इस प्रयोजनार्थ 23.84 करोड़ रुपये की राशि प्रदान की गई है। चुंगी समाप्त करने से फालतू घोषित किये गये सभी 3,108 कर्मचारियों को अन्य विभागों में समायोजित कर दिया गया है।

हरियाणा भाहरी विकास प्राधिकरण 1977 में अपने गठन के समय से ही लोगों को रहने के लिए आदर्श पर्यावरण उपलब्ध करवाने और विभिन्न सामाजिक तथा वाणिज्यिक गतिविधियों के

लिए भूमि सम्बन्धी जरूरत को पूरा करने की राज्य सरकार की वचनबद्धता को पूरा करने हेतु समर्पित है। वर्ष 1999-2000 के दौरान, हरियाणा भाहरी विकास प्राधिकरण द्वारा 193.12 एकड़ भूमि का अधिग्रहण किया गया है। भू-स्वामियों को मुआवजे के रूप में 9.90 करोड़ रुपये अदा किए गये, गुड़गांव तथा पंचकूला जैसे मांग वाले क्षेत्रों में और भूमि अधिग्रहण करने का प्रस्ताव है।

वर्ष 2000-2001 के दौरान भाहरी विकास पर कुल 32.81 करोड़ रुपये की राशि खर्च किये जाने का प्रस्ताव है।

18. परिवहन

हरियाणा राज्य परिवहन ने मितव्ययिता, परिचालन कुशलता तथा अमला उत्पादकता के आधार पर देश में ख्याति अर्जित की है। हरियाणा राज्य परिवहन ने मितव्ययिता, परिचालन कुशलता तथा अमला उत्पादकता के आधार पर देश में ख्याति अर्जित की है। हरियाणा राज्य परिवहन की 20 आगारों और 17 उप-आगारों से चलने वाली 3,638 बसें प्रतिदिन लगभग 10.94 लाख किलोमीटर की दूरी तय करते हुए, 10.42 लाख यात्रियों को कुशल, आरामदायक और किफायती यात्रा सुविधायें प्रदान करती है। हरियाणा राज्य परिवहन में नियमित रूप से पुरानी बसों के स्थान पर नई बसें शामिल की जाती हैं। परिवहन सेवाओं को सुदृढ़ करने के लिए वर्ष 1999-2000 के 33.51 करोड़ रुपये से

सं तोधित खर्च के मुकाबले वर्ष 2000-2001 के लिए 40 करोड़ रूपये की राशि का योजनागत प्रावधान किया गया है।

19. पर्यटन

पर्यटन को बढ़ावा देने के अपने उत्कृष्ट योगदान के कारण देश के पर्यटन मानचित्र पर हरियाणा का प्रमुख स्थान है। हरियाणा राज्य में 46 पर्यटन केन्द्रों का नेटवर्क, प्रतिवर्ष 65 लाख पर्यटकों की आवश्यकताएं पूरी करता है। इस वर्ष के दौरान पेहवा तथा हांसी में पर्यटन केन्द्र चालू हो गये हैं। वर्ष 2000-2001 के दौरान भिवानी तथा राई में दो नये पर्यटन केन्द्र तथा हिसार और रोहतक में फास्ट फूड केन्द्र पूर्ण कर लिये जाने का प्रस्ताव है।

वर्ष 2000-2001 के दौरान पर्यटन गतिविधियों को बढ़ावा देने हेतु 5.10 करोड़ रूपये के बजट का प्रस्ताव किया गया है।

20. सरकारी कर्मचारियों का कल्याण

सरकारी कर्मचारी प्रशासन का मूलाधार हैं। पुलिस कर्मियों का मनोबल बढ़ाने के लिए राज्य सरकार द्वारा ड्यूटी के दौरान मरने वाले पुलिस कर्मियों के परिवारों को पांच लाख रूपये का अनुग्रह अनुदान दिये जाने का निर्णय लिया गया है। सरकार द्वारा 1986 तथा 1996 से पूर्व के सेवानिवृत्त कर्मियों को भी पांचवें वेतन आयोग की पद्धति पर पेंशन देने का निर्णय लिया गया है।

कठिन वित्तीय परिस्थितियों के बावजूद राज्य के सरकारी कर्मचारियों को केन्द्र सरकार की पद्धति पर 10 प्रति शत और 5 प्रति शत की दर से मंहगाई भत्ते की दो किस्तें दी गई है।

21. बजट अनुमान 2000–2001

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं अब इस गरिमामय सदन के सम्मुख वर्ष 2000–2001 के लिये बजट अनुमान प्रस्तुत करता हूँ।

वर्ष 1999–2000 भारतीय रिजर्व बैंक की विभिन्न पुस्तकों के अनुसार 150.24 करोड़ रुपये के घाटे के साथ भुरू हुआ और इसके 196.77 करोड़ रुपये के घाटे के साथ समाप्त होने की संभावना है। इस प्रकार, चालू वित्त वर्ष में 22.67 करोड़ रुपये के बजट अनुमानों के घाटे के मुकाबले 46.53 करोड़ रुपये का घाटा होने की संभावना है।

वित्त वर्ष 2000–2001 भारतीय रिजर्व बैंक की पुस्तकों के अनुसार 196.77 करोड़ रुपये के घाटे के साथ भुरू होने और 294.56 करोड़ रुपये के घाटे के साथ समाप्त होने की संभावना है। इस प्रकार, वर्ष के दौरान बजट सम्बन्धी लेन–देन लेखे 97.79 करोड़ रुपये का घाटा दर्शाते हैं। बजट अनुमानों में 343.80 करोड़ रुपये के केन्द्र–चालित तथा अन्य विकासात्मक योजनागत स्कीमों के अतिरिक्त राज्य योजनागत खर्च के लिये 2,530 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है।

बजट अनुमान 2000-2001 में राज्य की समामेलित निधि में कुल प्राप्तियां 10,236.20 करोड़ रुपये की दिखाई गई है जबकि संशोधित अनुमान 1999-2000 में यह प्राप्तियां 8,691.72 करोड़ रुपये की हैं। बजट अनुमान 2000-2001 में समामेलित निधि से 11,604.48 करोड़ रुपये होने की संभावना है जबकि संशोधित अनुमान 1999-2000 में यह खर्च 9,626.69 करोड़ रुपये है। राजस्व लेखों में वर्ष 1999-2000 के संशोधित अनुमानों में दिखाई गई 5,979.30 करोड़ रुपये की प्राप्तियों में 776.63 करोड़ रुपये की अपेक्षित वृद्धि के परिणामस्वरूप, बजट अनुमान, 2000-2001 में ये प्राप्तियां 6,755.93 करोड़ रुपये की दिखाई गई हैं। इसी प्रकार, राजस्व खर्च में संशोधित अनुमान 1999-2000 में दर्शाया गया 7,270.43 करोड़ रुपये का खर्च बढ़ कर बजट अनुमान 2000-2001 में 8,097.20 करोड़ रुपये होने की संभावना है। खर्च में यह वृद्धि वर्ष 2000-2001 में 2,530 करोड़ रुपये के बढ़े हुए योजना खर्च के कारण है जबकि वर्ष 1999-2000 में योजना खर्च 1,811.16 करोड़ रुपये सम्भावित है।

बजट अनुमान, 2000-2001 में राज्य के राजस्व करों में संशोधित अनुमानों से 14.4 प्रतिशत की वृद्धि दर्शायी गई है। केन्द्रीय करों के अन्तरण को उसी प्रकार से लिया गया है जैसा कि अब तक भारत सरकार से हमें संकेत प्राप्त हुये हैं। करेतर राजस्व पिछले रुझानों के अनुसार आंके गये हैं।

योजनेतर खर्च पर अंकुश लगाने का हर संभव प्रयास किया गया है, परन्तु ऋण अदायगी और ब्याज की राशि के भुगतान में बढ़ौतरी मुख्य चिंता का विषय है। हाल के वर्षों में एक के बाद एक आई सरकारें योजनागत और योजनेतर खर्च की अपनी वचनबद्धताओं को पूरा करने के लिये आन्तरिक स्रोतों और भारत सरकार से ऋण लेती रही हैं। ऋण वापसी तथा ब्याज अदायगी 1,022.25 करोड़ रुपये से बढ़ जाने की संभावना है अर्थात् वर्ष 1999-2000 में यह देयता 2,452.09 करोड़ रुपये से बढ़कर वर्ष 2000-2001 में 3,474.34 करोड़ रुपये हो जायेगी जो कि समामेलित निधि के कुल खर्च का 30 प्रतिशत है।

वर्ष 2000-2001 के बजट अनुमानों के अनुसार राज्य सरकार द्वारा 3,429.77 करोड़ रुपये का सार्वजनिक ऋण लेने की संभावना है। 1,932.47 करोड़ रुपये के ऋणों की अदायगी करने के पश्चात् निवल सार्वजनिक ऋण 1,497.30 करोड़ रुपये बढ़ जायेगा। इसी प्रकार वर्ष 1999-2000 के संशोधित अनुमानों के अनुसार निवल सार्वजनिक ऋण 1,528.76 करोड़ रुपये होने की सम्भावना है। राज्य का बकाया ऋण, महालेखाकार, हरियाणा की पुस्तकों के अनुसार 31 मार्च, 1999 को 9,913.07 करोड़ रुपये है। यह ऋण 22.2 प्रतिशत बढ़कर 31 मार्च, 2000 को 12,110.80 करोड़ रुपये हो जायेगा और 19 प्रतिशत बढ़कर 31 मार्च, 2001 तक 14,418.37 करोड़ रुपये हो जायेगा। राज्य की कुल ऋण

देयता सकल राज्य घरेलू उत्पाद का लगभग 25 प्रतिशत हो जाने की संभावना है।

हालांकि, बढ़ता हुआ बजट घाटा एक चिंता का विषय है परन्तु विकास नीति अर्थ-व्यवस्था में घाटे को भूयुक्त स्तर पर लाना व्यावहारिक नहीं है। विकास नीति अर्थव्यवस्था और सामाजिक अवस्थापना की जरूरतों को पूरा करने के लिए एक विकास नीति राज्य को इस आशा से ऋण लेना पड़ता है कि अर्थव्यवस्था के विकसित हो जाने पर किये गये निवेश का फल मिलना शुरू हो जाएगा, जिससे राज्य की उधार की निधियों पर निर्भरता कम हो जाएगी। राज्य सरकार द्वारा वित्तीय घाटे में सुधार की ओर निरन्तर अपना ध्यान केन्द्रित किया जा रहा है। राज्य का वित्तीय घाटा अपने सकल राज्य घरेलू उत्पाद का लगभग 5 प्रतिशत है। राज्य का वेतन बिल राजस्व खर्च का लगभग 50 प्रतिशत है।

तथापि, सुधार की अभी भी गुंजाइश है। केन्द्र सरकार ने केन्द्रीय करों में राज्य का हिस्सा बढ़ाने का निर्णय लिया है। बिक्री कर की एक समान दरें लागू करने और अर्थव्यवस्था में मंदी के दौर का रूख मुड़ने के कारण आगामी वित्त वर्ष में बिक्री कर की प्राप्तियों में वृद्धि होने की संभावना है। बिक्री कर की एक समान दरें लागू होने से 75 करोड़ रुपये से अधिक राजस्व प्राप्त होने की संभावना है। वर्तमान कर कानूनों को सख्ती, निष्पक्ष और प्रभावी ढंग से लागू करके कर-संग्रहण में सुधार करने के प्रयास

किए जाएंगे। मुझे पूरा विश्वास है कि वर्ष 2000-2001 की वार्षिक योजना के सभी विकास कार्यक्रमों को पूरी तरह से कार्यानिवित किया जाएगा। इसके लिए मैं विधायकों, सरकारी कर्मचारियों और हरियाणा की जनता से सहयोग की अपेक्षा करता हूँ।

मैं, वित्त विभाग, राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र तथा हरियाणा के उन कर्मचारियों की सराहना और धन्यवाद करता हूँ, जिन्होंने इन बजट अनुमानों को तैयार करने में कड़ी मेहनत की है। महालेखाकार, हरियाणा का इन बजट अनुमानों को तैयार करने में विशेष सहयोग रहा है। हरियाणा प्रैस और केन्द्र भासित प्रैस का योगदान भी उल्लेखनीय है। अध्यक्ष महोदय, वित्त विभाग व राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र के कर्मचारियों से सहयोग से आज 12.00 बजे इस बजट को हम वेबसाइट पर लेने जा रहे हैं आंध्र प्रदेश के बाद पहली बार हरियाणा प्रदेश इसे ले रहा है। बजट स्पीच की समाप्ति पर मैं आपको, सदन के नेता को व विपक्ष के नेता को इसकी सीडी दूंगा। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं इन बजट अनुमानों को सदन की स्वीकृति एवं विचार के लिए प्रस्तुत करता हूँ। **जय हिन्द !**

भाषक प्रस्ताव

मुख्यमंत्री (श्री ओम प्रकाश चौटाला): अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से सदन को सूचित करना चाहूंगा कि इस

सदन के सम्मानित सदस्य श्री हामिद हुसैन जो कि नूंह से विधायक हैं की बहन अस्करी जो कि 60-62 वर्ष की थी और गांव मुनकपुर, पुन्हाना की रहने वाली थी का आज सुबह 6 बजे अकस्मात निधन हो गया है। यह सदन दिवंगत के भाोक संतप्त परिवार के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना प्रकट करता है।

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा: स्पीकर सर, सदन के नेता ने जो भाोक प्रस्ताव रखा है मैं भी उसके समर्थन में खड़ा हूँ। सदन की जानकारी के लिए बताना चाहता हूँ कि श्रीमती अस्करी हमारे माननीय विधायक श्री हामिद हुसैन की बहन थी और माननीय विधायक जाकर हुसैन जो तावडू से विधायक हैं, की बुआ थी।

श्री अध्यक्ष: मैं भी सदन की भावनओं के साथ अपने आपको सम्मिलित करता हूँ मुझे उनके निधन पर गहरा दुख है। मैं परमपिता परमात्मा से प्रार्थना करता हूँ कि उनकी आत्मा को भांति दे। मैं भाोक संतप्त परिवार को सदन द्वारा प्रकट की गई संवेदना पहुंचा दूंगा। अब मैं दिवंगत आत्मा के सम्मान में श्रद्धाजंलि देने के लिए दो मिनट का मौन धारण करने के लिए खड़े होने का अनुरोध करता हूँ।

(इस समय दिवंगत आत्मा के सम्मान में सदन के सदस्यों ने खड़े होकर दो मिनट का मौन धारण किया।)

Mr. Speaker: Now, the house stands adjourned till 9.30 A.M. tomorrow, the 15th March, 2000.

***10.44 hrs.**

(The Sabha then *adjourned till 9.30 A.M. on
Wednesday, the 15th March, 2000.)